संख्या- 499 ई-2/तेरह-2008-130/2007

प्रेषक,

एस०पी० सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवकारी आयुक्त,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 मार्च, 2008

विषय:- वर्ष 2008-09 की आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-327/दस-लाइसेन्स-367/सुझाव आबकारी नीति/2008-09, दिनांक 25 फरवरी, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2008-09 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के लिये मुझे निर्देश हुए है:-

दुकानों का व्यवस्थापन:-

(1) वर्ष 2008-09 के लिये आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाए।

(2) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पायेगा, उनका तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2007-08 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन व आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालयों से प्राप्त किये जाने की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखना उपयुक्त रहेगा। दुकानों के व्यवस्थापन में एकाधिकार रोकने एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु उपरोक्त के साथ ही साथ वर्ष 2008-09 में आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा करने की व्यवस्था को बनाये रखना उचित होगा। ऐसे आवेदन पत्रों

को जमा होने की अन्तिम तिथि व समय समाप्त होने पर सम्बन्धित जनपद को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2007-08 के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया हो।

(4) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेन्स (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जायेगा। वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी भांग के लिये निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेन्स फीस तथा एम0जी0क्यू0 से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर 20/- रूपया प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी।

भांग की निर्यात फीस में वृद्धि करते हुए वर्ष 2008-09 के लिये 4/- रूपया प्रति किलोग्राम होगी।

(5) वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा की उप दुकानों का सृजन वर्ष 2007-08 की भांति प्रतिबन्धित रहेगा।

(6) आबकारी विभाग द्वारा राजस्व की चोरी रोकने हेतु माह जुलाई, 2007 से थोक विक्रेताओं को देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति निर्माता आसवनियों/ यवासवनियों से सीधे न कराकर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के माध्यम से कराने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु इस व्यवस्था से राजस्व प्राप्ति में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त नहीं हुई, वरन् इस व्यवस्था से मदिरा की आपूर्ति में कतिपय कठिनाइयां भी आईं। अत: इस व्यवस्था को वर्ष 2008-09 के लिये समाप्त करते हुए देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति पूर्व (जुलाई, 2007 से पूर्व) की भांति कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार सम्बन्धित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

3. देशी मदिरा :-

(3.1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0)

वर्ष 2007-08 में देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में 20.28 करोड़ बल्क लीटर व्यवस्थापित है। वर्तमान व्यवस्थापित देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की सभी श्रेणी की दुकानों के कोटे में समान रूप से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जिससे वर्तमान एम0जी0क्यू0 20.28 करोड़ बल्क लीटर में लगभग एक करोड़

बल्क लीटर की वृद्धि होगी अर्थात वर्तमान दुकानों के लिये अगले वर्ष का एम0जी0क्यू0 21.28 करोड़ बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म) हो जायेगा। देशी मदिरा की प्रस्तावित नवीन दुकानों के लिये 21.28 करोड़ बल्क लीटर के अतिरिक्त अलग से एम0जी0क्यू0 व्यवस्थापित कराया जाए। अतः देशी मदिरा की सभी प्रास्थिति की दुकानों के एम0जी0क्यू0 में समान रूप से 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए व्यवस्थापन की निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित है:-

(i) दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम वर्तमान अनुज्ञापियों से उनकी न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा में उपरोक्तानुसार 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त किया जाय। जिन दुकानों के साथ उप दुकानें सम्बद्ध है, उनकी वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में भी उपरोक्तानुसार ही 7 प्रतिशत की वृद्धि मूल दुकान की प्रास्थिति के अनुसार करके मुख्य दुकान के साथ उनका भी नवीनीकरण/व्यवस्थापन किया जाए।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2008-09 के लिये प्रस्तावित वृद्धि के साथ निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदनपत्र मांगकर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर कराया जाए, किन्तु शर्त यह होगी कि वर्ष 2007-08 के कोटे से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

इसी चरण में नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी गत वर्ष की भांति न्यूनतम् 3000 बल्क लीटर एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुए आफर मांगकर कराया जाए।

(iv) उप दुकानों का सृजन वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में भी प्रतिबन्धित रहेगा।

(3.2) प्रॉसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क-

वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर प्रोसेसिंग फीस की दर को वर्ष 2007-08 की भांति रू0 2500 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

देशी मदिरा की दुकानों के लिये नवीनीकरण फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2007-08 की वर्तमान दर (रूपये में)	वर्ष 2008-09 के लिये प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	14,000 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	11,000 प्रति दुकान	15,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	4,000 प्रति दुकान	5,000 प्रति दुकान

(3.3) **बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिफल शुल्क-**

वर्ष 2008-09 हेतु देशी मदिरा की बेसिक लाइसेन्स फीस की दर यथावत रू0 15/- प्रति ब0ली0 तथा प्रतिफल शुल्क की दर रू0 104/- प्रति ब0ली0 (36 प्रतिशत वी/वी) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.4) **देशी मदिरा की श्रेणियां एवं मूल्य निर्धारण-**

वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा की वर्तमान में प्रचलित तीन श्रेणियां- 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता (सादा), 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता (मसाला) तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता (मसाला) यथावत् रहेंगी।

देशी मदिरा की उक्त तीनों श्रेणियों- 42.8 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी/वी तथा 25 प्रतिशत वी/वी के थोक व फुटकर विक्रय मूल्य संलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(3.5) **देशी मदिरा की आपूर्ति एवं सी0एल0-2 की लाइसेन्स फीस-**

शासनादेश दिनांक 14.06.2007 के क्रम में सी0एल0-1ए अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के पक्ष में सृजित किये गये थे। इस व्यवस्था से राजस्व पर अपेक्षित अनुकूल प्रभाव न पड़ने के कारण इन अनुज्ञापनों को बनाये रखने का औचित्य नहीं रह गया है। अत: वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व (01 जुलाई, 2007 से पूर्व) की भांति सी0एल0-2 के माध्यम से कराये जाने तथा सी0एल0-2 का अनुज्ञापन केवल प्रदेश की आसवनियों को ही स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2008-09 में सी0एल0-2 की लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

<u>प्रथम स्तर,</u> अनुज्ञापन जारी करने से पूर्व गत वर्ष की भांति लाइसेन्स फीस रू0 10,00,000 (रूपये दस लाख) तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 1,00,000 (रूपये एक लाख) लिया जाए।

<u>द्वितीय स्तर</u> पर आसवनी से निकासी से पूर्व आसवनी स्तर पर रू0 1/- प्रति लीटर सी0एल0-2 अनुज्ञापन की अतिरिक्त लाइसेन्स फीस वसूल किया जाए तथा इसका समायोजन पी0डी0-2 अनुज्ञापन के अग्रिम खाते- पी0डी0-22 से किया जाए। यथासम्भव सी0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 31 मार्च, 2008 से पूर्व ही करा लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राजस्व

हित में उक्त तिथि के उपरान्त सी0एल0-2 अनुज्ञापन जारी किये जायें। सी0एल0-2 अनुज्ञाधारी केवल स्वयं की आसवनी में ही निर्मित मदिरा-का-विक्रय कर सकेगा। तदनुसार-देशी मदिरा के थोक विक्रय की नियमावली में संशोधन समयान्तर्गत कर लिया जाए।

(3.6) **देशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन-**

वर्ष 2008-09 में देशी शराब का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन वर्ष 2007-08 की भांति अनिवार्य किये जाने एवं उसके लिये फीस रू0 5000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.7) **देशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन-**

वर्ष 2008-09 में देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदन वर्ष 2007-08 की भांति रू0 5000/- प्रति लेबुल निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.8) **देशी मदिरा की निर्यात पास फीस-**

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2007-08 में रू0 10/- प्रति ए0एल0 है, जिसे वर्ष 2008-09 में यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(3.9) **देशी मदिरा की नई दुकानों का सृजन-**

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान दुकानों की संख्या की 15 प्रतिशत तक देशी मदिरा की नई दुकानें सृजित कर सकते है एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण के व्यवस्थापन के साथ वर्ष के आरम्भ में ही आफर/टेण्डर मांगकर किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी नवसृजित दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 3000 ब0ली0 वार्षिक से कम का आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर दुकान का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(3.10) **देशी मदिरा की दैनिक लाइसेन्स फीस-**

देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस व प्रतिफल फीस सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेन्स फीस व प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2008-09 में भी सामान्यतः दैनिक व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार ही सम्पन्न कराया जाए, परन्तु यदि किन्हीं कारणों से समस्त निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये जाने के बावजूद किसी दुकान का व्यवस्थापन नहीं हो पाता हैं, तो उसका व्यवस्थापन दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 के एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर सर्वोच्च आफर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। शर्त यह होगी कि उक्त दुकान का नियमित व्यवस्थापन शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाए। ऐसी दुकानों के नियमित व्यवस्थापन कराये जाने तक आबकारी आयुक्त द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।

(3.11) **देशी मदिरा के 180 एम0एल0 के पौवों की बिक्री को चरणबद्ध ढंग से बन्द किया जानाः-**

वर्ष 2008-09 में 180 एम0एल0 धारिता के पौवों में देशी शराब की आपूर्ति निम्नानुसार चरणबद्ध ढंग से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

कमांक	तिमाही का नाम	प्राविधान
1	वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही (01.04.2008 से 30.06.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 75 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 25 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
2	वर्ष 2008-09 की द्वितीय तिमाही (01.07.2008 से 30.09.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 50 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 50 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
3	वर्ष 2008-09 की तृतीय तिमाही (01.10.2008 से 31.12.2008 तक)	पौवों में होने वाली आपूर्ति का 25 प्रतिशत 180 एम0एल0 के पौवों में तथा शेष 75 प्रतिशत 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से आपूर्ति अनिवार्य होगी।
4	वर्ष 2008-09 की चतुर्थ तिमाही (01.01.2009 से 31.03.2009 तक)	180 एम0एल0 के पौवों में देशी मदिरा की अपूर्ति पूर्णरूपेण निषिद्ध रहेगी तथा केवल 200 एम0एल0 के पौवों में आसवनी से देशी मदिरा आपूर्ति अनिवार्य होगी।

(4) विदेशी मदिराः-

(4.1) विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेन्स फीस एवं व्यवस्थापन-

वर्ष 2008-09 के लिये विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेन्स फीस की सभी 09 स्लैब को यथावत् रखते हुए उसमें 15 प्रतिशत की समान वृद्धि करने तथा अधिकतम लाइसेंस फीस की सीमा रू0 30 लाख तय करते हुए निम्नानुसार विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सभी 09 स्लैब की लाइसेंन्स फीस में समान रूप से 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में बिकी के आधार पर नवीनीकरण के लिये पूर्व प्रक्रियानुसार अनुमन्य होगी। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय। इसी चरण में नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन प्रचलित प्रक्रियानुसार ही नियत् लाइसेंस फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2007-08 की लाइसेन्स फ़ीस पर आफर मांगकर किया जाय, शर्त यह होगी कि वर्ष 2007-08 की लाइसेन्स फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा।

(iv) विदेशी मदिरा की दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यत: आगामी वर्ष 2008-09 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, परन्तु ऐसी दुकानें, जिन पर तीन चरणों की व्यवस्थापन की प्रक्रिया में कोई आफर प्राप्त न हों, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर व्यवस्थापन कराया जाना प्रस्तावित है। दो या दो से अधिक समान आफर् प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस प्रकार के व्यवस्थापन से बोतलों की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रतिफल फीस सुरक्षित हो सकेगी तथा क्षेत्र असेवित न रहने के कारण तस्करी पर नियंत्रण रहेगा।

(4.2) <u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की नवीनीकरण एवं प्रॉसेसिंग फीस-</u>

विदेशी मदिरा दुकानों की प्रॉसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क की वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित दर में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2007-08 के लिये नवीनीकरण की वर्तमान दर (रूपये में)	वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	19,000 प्रति दुकान	22,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	13,000 प्रति दुकान	15,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	5,000 प्रति दुकान	6,000 प्रति दुकान

वर्ष 2008-09 के लिये नवीनीकरण व अन्यथा व्यवस्थापन हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस की वर्ष 2007-08 में निर्धारित दर रू0 2500/- को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.3) **विदेशी मदिरा की नई दुकानों सृजन एवं उनकी लाइसेंस फीस का निर्धारण तथा व्यवस्थापन:-**

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह विदेशी मदिरा की वर्तमान दुकानों की संख्या के 15 प्रतिशत तक वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते है, किन्तु उनका व्यवस्थापन यथासम्भव वर्ष के प्रारम्भ में ही करा दिया जाए।

वर्ष 2008-09 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेन्स फीस निकायवार निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	लाइसेन्स फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि0मी0 की परिधि तक	रू0 6,29,900.00
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि0मी0 की परिधि तक	रू0 2,10,200.00
3	नगर पंचायत	रू0 97,900.00
4	ग्रामीण क्षेत्र	रू0 47,400.00

उपर्युक्तानुसार निर्धारित लाइसेन्स फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाएगा।

(4.4) **विदेशी मदिरा पर प्रतिफल फीस एवं मूल्य निर्धारण-**

वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य को पुनर्गठित करते हुए उनकी प्रतिफल फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

श्रेणी एवं एक्स आसवनी मूल्य		वर्ष 2008-09 में प्रतिफल फीस एवं श्रेणी				प्रति लीटर बृद्धि
		श्रेणी		प्रति लीटर	प्रति बोतल	
1.	0 से 25/- तक	चीप (सस्ती)	GGG	157.00	117.75	15.00
2.	25/- से अधिक 32/- तक	मीडियम बीटा	FFB	170.00	127.50	08.00
3.	32/- से अधिक 44/- तक	मीडियम अल्फा	FFA	191.00	143.25	09.00
4.	44/- से अधिक 54/- तक	रेगुलर बीटा	EEB	201.00	150.75	07.00
5.	54/- से अधिक 68/- तक	रेगुलर अल्फा	EEA	221.00	165.75	11.00
6.	68/- से अधिक 84/- तक	सेमी प्रीमियम	DDD	297.00	222.75	27.00

7	84/- से अधिक 114/- तक	प्रीमियम बीटा	CCB	339.00	254.25	31.
8.	114/-से अधिक 164/- तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	372.00	279.00	34.
9.	164/-से अधिक 224/- तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	488.00	366.00	44.
10.	224/-से अधिक 256/- तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	493.00	369.75	45
11.	256/- से अधिक 500/- तक	स्काच बीटा	AAB	612.00	459.00	56.
12.	500/- से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	634.00	475.50	5[illegible]

विदेशी मदिरा का मूल्य निर्धारण गत वर्षों की भांति निर्धारित सूत्र के अनुसार किया जाए; किन्तु आपके प्रस्तावानुसार बोतलों के मूल्य तथा लेबुल व पी.पी. कैप के मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बोतल के एक्स आसवनी मूल्य में 3/- रूपया बढ़ाकर 375 एम0एल0 तथा 5/- रूपया बढ़ाकर अन्य धारिताओं का मूल्य निर्धारित किया जाए।

(4.5) <u>विदेशी मदिरा की आपूर्ति-</u>

शासनादेश दिनांक 14.06.2007 के क्रम में एफ0एल0-1बी अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के पक्ष में सृजित किये गये थे। इस व्यवस्था से राजस्व पर अपेक्षित अनुकूल प्रभाव न पड़ने के कारण इन अनुज्ञापनों को बनाये रखने का औचित्य नहीं रह गया है। अतः वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व (01 जुलाई, 2007 से पूर्व) की भांति एफ0एल0-2 अनुज्ञापियों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। एफ0एल0-2 की लाइसेन्स फीस रू0 5 लाख निर्धारित है, जिसे वर्ष 2008-09 के लिये यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.6) <u>विदेशी मदिरा पर आयात एवं निर्यात फीस-</u>

प्रदेश में अन्य प्रान्तों की आसवनियों की विदेशी मदिरा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इसलिये आयात शुल्क वर्ष 2007-08 की भांति रू0 4/- प्रति लीटर अर्थात रू0 3/- प्रति बोतल वर्ष 2008-09 में भी रखने तथा बल्क में आयात करने पर रू0 2/- प्रति ए0एल0 के स्थान पर रू0 3/- प्रति बी0एल0 करने का निर्णय लिया गया है।

विदेशी मदिरा पर निर्यात पास फीस की वर्तमान दर बल्क में निर्यात करने पर रू0 5/- प्रति ए0एल0 तथा बोतलों में निर्यात करने पर रू0 2.67 प्रति ए0एल0 है, जिसे वर्ष 2008-09 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.7) विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन-

विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 30,000/- प्रति ब्राण्ड के स्थान पर वर्ष 2008-09 में रू0. 35,000/- प्रति ब्राण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.8) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000 से बढ़ाकर रू0 15,000/- प्रति ब्राण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.9) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान-

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(4.10) विदेशी मदिरा (एफ0एल0-2ए)-

विदेशी मदिरा के एफ0एल0-2ए (सी0एस0डी0) की लाइसेन्स फीस एवं 2007-08 में रू0 2500/- निर्धारित है, जिसे वर्ष 2008-09 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.11) विदेशी मदिरा एफ0एल0-2डी (समुद्रपार से आयातित)-

एफ0एल0-2डी (समुद्रपार से आयातित) अनुज्ञापनों की वर्तमान निर्धारित लाइसेन्स फीस रू0 50,000/- को वर्ष 2008-09 में यथावृत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.12) एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए-

वर्ष 2007-08 में एफ0एल0-1 की लाइसेन्स फीस रू0 3,00,000/- एवं एफ0एल0-1ए की लाइसेन्स फीस रू0 3,00,000/- निर्धारित है। इसे वर्ष 2008-09 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.13) बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस-

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस वर्ष 2007-08 की भांति 2008-09 में यथावत् निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए	5 लाख रूपये
बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी	3.5 लाख रूपये
बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी	50 हजार रूपये
बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी	25 हजार रूपये

(4.14) विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस-

वर्ष 2008-09 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रू0 12,000/- प्रति लेबुल के स्थान पर रू0 15000/- निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.15) <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस-</u>

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस की दो दरें- रू0 560/- प्रति लीटर तथा रू0 580/- प्रति लीटर निर्धारित है। चूंकि देश में निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस में वृद्धि की जा रही है, इस कारण समान टैक्स रखने के दृष्टिगत समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा पर निम्नानुसार परमिट फीस निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य		परमिट फीस
रू0 254 से 500 तक		रू0 612.00 प्रति लीटर
रू0 500 से अधिक	—	रू0 638.00 प्रति लीटर

(4.16) <u>वाइन पर आयात शुल्क-</u>

वाइन पर आयात शुल्क की वर्तमान दर रू0 3/- प्रति लीटर को वर्ष 2008-09 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.17) <u>वाइन पर प्रतिफल फीस-</u>

वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो निर्धारित है, जिसे वर्ष 2008-09 यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.18) <u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस-</u>

अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रति बोतल (750 एम0एल0) अथवा बोतल के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निर्धारित है, जिसे वर्ष 2008-09 में यथावत् रखने निर्णय लिया गया है।

(4.19) <u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना-</u>

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित करना वर्ष 2008-09 में भी गत वर्ष की भांति अनिवार्य होगा।

(4.20) <u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस-</u>

वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित वाइन की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000/- प्रति ब्राण्ड के स्थान पर रू0 15000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.21) <u>वाइन की बिक्री-</u>

वर्ष 2007-08 की ही भांति विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर वाइन की बिक्री वर्ष 2008-09 में भी अनुमन्य होगी।

(4.22) कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन-

कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस वर्ष 2007-08 में क्रमशः रू0 3000/- व रू0 5000/- को वर्ष 2008-09 में भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.23) कम तीव्रता के मादक पेय पर प्रतिफल फीस-

कम तीव्रता के मादक पेय पर प्रतिफल फीस 5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक रू0 28.46 प्रति लीटर है तथा 5 प्रतिशत से अधिक 8 प्रतिशत वी/वी तक रू0 49.23 प्रति लीटर है, जिसे वर्ष 2008-09 के लिये यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.24) विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 धारिता (रेगुलर बीयर तक की श्रेणी से) को समाप्त किया जाना:-

रू0 0.00 से 54/- तक एक्स आसवनी मूल्य वाली विदेशी मदिरा की श्रेणी में 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री के प्राविधान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2007-08 की भांति सुपर प्रीमियम एवं स्कॉच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री वर्ष 2008-09 में भी अनुमन्य होगी।

5. बीयर:-

(5.1) बीयर की दुकानों की लाइसेन्स फीस एवं व्यवस्थापन-

बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इस कारण वर्ष 2008-09 में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की श्रेणी को यथावत् रखते हुए श्रेणीवार लाइसेन्स फीस में कोई वृद्धि न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन प्रचलित प्रक्रियानुसार ही नियत् लाइसेन्स फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन निम्न प्रक्रियानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(i) बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण में दुकान की वर्तमान लाइसेन्स फीस पर नवीनीकरण का विकल्प उनके वर्तमान अनुज्ञापियों से प्राप्त कर लिया जाय।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

द्वितीय चरण में ही नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित लाइसेन्स फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(iii) बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यत: आगामी वर्ष 2008-09 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु ऐसी दुकानें जिनका व्यवस्थापन उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात न हो पाये, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाए।

(5.2) **बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस :-**

वर्ष 2008-09 में नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर प्रासेसिंग फीस की गत वर्ष में निर्धारित दर रू0 2500/- को यथावत रखते हुए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

कमांक	निकाय	नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित फीस (रूपये में)	
		वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	25,000/- प्रति दुकान	30,000/- प्रति दुकान
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	19,000/- प्रति दुकान	22,000/- प्रति दुकान
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	13,000/- प्रति दुकान	15,000/- प्रति दुकान
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	5,000/- प्रति दुकान	6,000/- प्रति दुकान

(5.3) **बीयर की नवसृजित दुकानों की लाइसेन्स फीस एवं व्यवस्थापन-**

वर्ष 2008-09 में व्यवस्थापित होने वाली बीयर की फुटकर बिक्री की नवसृजित दुकानो की लाइसेन्स फीस वर्ष 2007-08 की भांति निकायवार निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :-

कमांक	निकाय	निर्धारित लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि0मी0 की परिधि तक	1,52,200/- रूपये
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि0मी0 की परिधि तक	76,200/- रूपये
3	नगर पंचायत	37,100/- रूपये
4	ग्रामीण क्षेत्र	36,500/- रूपये

नवसृजित दुकान के लिये उपर्युक्त लाइसेन्स फीस पर आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाए।

(5.4) **बीयर की प्रतिफल फीस-**

वर्ष 2008-09 में बीयर, साइडर, पोर्टर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर प्रतिफल शुल्क की निम्नानुसार लागू वर्तमान दरों को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है :-

श्रेणी	प्रतिफल शुल्क प्रति बोतल (650 एम0एल0)
माइल्ड (05 प्रतिशत वी/वी तक)	18.50 रूपये प्रति बोतल
स्ट्रांग (08 प्रतिशत वी/वी तक)	32.00 रूपये प्रति बोतल

(5.5) **बीयर की दुकानों मे वृद्धि -**

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह बीयर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते है, किन्तु उनका व्यवस्थापन यथासम्भव वर्ष के प्रारम्भ में ही करा दिया जाए।

(5.6) **बीयर पर निर्यात शुल्क**

बियर का निर्यात शुल्क 1/-रू0 प्रति ब0ली0, कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क 1/-रू0 प्रति ब0ली0 वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.7) **बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क :-**

वर्ष 2008-09 में बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय हेतु आयात शुल्क की वर्तमान दर रू0 2/- प्रति ली0 को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.8) **बीयर का थोक लाइसेन्स (एफ0एल0-2बी)**

बीयर के थोक अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस वर्ष 2007-08 की भांति यथावत रू0 2 लाख वार्षिक रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(5.9) **बीयर की लेबुलों का अनुमोदन फीस**

बीयर के लेबुलों के अनुमोदन की फीस वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में रू0 5,000/- रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.10) **बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन**

बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008-09 में रू0 12000 किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(5.11) **अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन-**

वर्ष 2008-09 में आयातित बीयर के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस की वर्तमान दर रू0 10,000/- प्रति ब्राण्ड को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.12) **बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एंव कम तीव्रता के मादक पेय का बोतल भराई शुल्क का निर्धारण-**

वर्ष 2008-09 में बीयर, पॅार्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल भराई शुल्क की निम्नानुसार निर्धारित वर्तमान दर को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है:-

धारिता एम0एल0 में	एफ0एल0-3	एफ0एल0-3ए
650 एम0एल0	0.55 रू0	0.65 रू0
350 एम0एल0 या इससे कम	0.30 रू0	0.40 रू0

(5.13) **अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-**

वर्ष 2008-09 में अन्य देशों से आयातित बीयर के परमिट फीस की निम्नानुसार निर्धारित वर्तमान दर को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है:-

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक — रू0 20/-(650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक — रू0 35/-(650 एम0एल0 प्रति बोतल)

6 **माडल शाप :-**

(6.1) **माडल शाप का नवीनीकरण-**

माडल शॉप्स के नवीनीकृत किये जाने हेतु वर्ष 2007-08 में आवेदन पत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में निर्धारित रू0 5000/- प्रत्येक आवेदन को वर्ष 2008-09 में यथावत रखे जाने तथा गत वर्ष की भांति नवीनीकरण फीस न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.2) **माडल शाप की लाइसेन्स फीस-**

वर्ष 2007-08 में माडल शॉप्स की लाइसेन्स फीस नगर निगमों व नोएडा (झांसी और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) के लिये रू0 20 लाख व अन्य नगर निकायों के लिए रू0 08 लाख वार्षिक अथवा सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्र में विदेशी मदिरा की सबसे अधिक लाइसेन्स फीस और बीयर की दुकान की सबसे अधिक लाइसेन्स फीस को जोड़कर, जो भी अधिक हो, वही धनराशि सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्र में खुलने वाली माडल शॉप की लाइसेन्स फीस निर्धारित की गयी है, किन्तु कहीं-कहीं यह देखने में आ रहा है कि नगर निगम के अतिरिक्त अन्य नगर निकायों में

सूत्रानुसार माडल शाप की लाइसेन्स फीस महानगरों के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस रू0 20 लाख से अधिक हो जा रही है, इस कारण वहाँ पर माडल शाप नहीं खुल पा रही है, इसको देखते हुए वर्ष 2008-09 के लिये माडल शाप की लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

> नगर निगमों व नोएडा (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर) के लिये रू0 20 लाख तथा अन्य नगर निकायों के लिये रू0 8 लाख वार्षिक अथवा सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्र में विदेशी मदिरा की सबसे अधिक लाइसेन्स फीस और बीयर की दुकान की सबसे अधिक लाइसेन्स फीस को जोड़कर, जो भी अधिक हो, निर्धारित की जाएगी; किन्तु उक्तानुसार निर्धारित फीस रू0 20 लाख से अधिक नहीं होगी।

माडल शाप में मदिरा पिलाने के लिये फीस पूर्व की भांति रू0 50,000/- ही रखने का निर्णय लिया गया है।

(6.3) <u>माडल शाप की नियमावली में संशोधन:-</u>

उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के नियम-4 में यह व्यवस्था है कि लाइसेंस प्राधिकारी क्षेत्र में प्रसार रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार करने के पश्चात् माडल शाप के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माडल शाप के लिये एक विशिष्ट परिसर निर्धारित है, जो सर्व-सुलभ नहीं है । ऐसी दशा में लाइसेंस प्राधिकारी के स्तर से विज्ञापन देकर प्रचार-प्रसार किये जाने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अत: लाइसेंस प्राधिकारी के स्तर से विज्ञापन किये जाने के प्रतिबन्ध को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर वर्ष के प्रारम्भ में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश में प्रचार-प्रसार रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों में माडल शाप के लिये विज्ञापन दिये जाने का प्राविधान रखने का निर्णय लिया गया है। इसी विज्ञापन के फलस्वरूप वर्ष-पर्यन्त प्राप्त होने वाले माडल शाप के आवेदनपत्रों का सम्यक निस्तारण लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

नागर निकाय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जो नगर निकायों के समान विकसित हो गये है तथा माडल शाप के लिये निर्धारित अर्हता भी पूरी करते है, उन स्थलों पर माडल शाप भली-भांति परीक्षण करने के उपरान्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

7 <u>बार अनुज्ञापन:-</u>

(7.1) <u>बार अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस :-</u>

बार अनुज्ञापनों की वर्तमान लाइसेन्स फीस को वर्ष 2008-09 में यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(7.2) <u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि:-</u>

वर्तमान में बार अनुज्ञापनों के खुलने एवं बन्द होने की निम्न समयावधि निर्धारित है :-

एफ0एल0-6 कम्पोजिट-	शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में 12 बजे दोपहर से 11 बजे रात्रि तक ।
एफ0एल0-6ए कम्पोजिट-	शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में 12 बजे दोपहर से 11 बजे रात्रि तक ।
एफ0एल0-7-	दोपहर से 2 बजे तक तथा 8 बजे रात्रि से 11 बजे रात्रि तक तथा शनिवार को 12 बजे रात्रि तक ।
एफ0एल0-7बी-	11 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक सभी दिनों के लिये ।

विभिन्न बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि में पर्याप्त भिन्नता है, जिसमें एक रूपता लाते हुये 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त सभी नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्धनगर में, जहां सामान्यतया देर रात्रि तक होटल इत्यादि खुले रहते है, स्थित बार यदि चाहें तो **एक लाख रुपये** अतिरिक्त फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार खोलने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

8 <u>भांग</u>

वर्ष 2008-09 में भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2007-08 की भांति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेन्स (टेन्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेन्स फीस देय होगी। एम0जी0क्यू0 से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी।

भांग पर निर्यात फीस रू0 2.15 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर रू0 4/- प्रति किलोग्राम किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9 <u>देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व लो-अल्कोहलिक ब्रिवरेज के अविक्रीत स्टाक की घोषणा</u>

आबकारी आयुक्त प्रत्येक लाइसेन्सी से उपरोक्त अविक्रीत स्टाक की घोषणा 31 मार्च, 2008 को कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित् करेंगे कि उसकी बिक्री लाइसेन्सियों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2008-09 में न की जाए।

सी0एल0-1ए/एफ0एल0-1बी अनुज्ञापी दिनांक 31.03.2008 की समाप्ति पर अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2008 को 12:00 बजे तक करेंगे। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जाएगा।

10 **विदेशी मदिरा का ई०एन०ए० से निर्माण:-**

विदेशी मदिरा के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से ही कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् किया जाए।

11 **कतिपय नियमावलियों का विखण्डन:-**

वर्ष 2008-09 के लिये सी०एल०-1ए अनुज्ञापन तथा एफ०एल०-1बी अनुज्ञापन की व्यवस्था औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अत: वर्ष 2007-08 में लागू की गयी नियमावलियां यथा-उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब और विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिये लाइसेन्सों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2007, उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेन्सों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2007 को विखण्डित करने का निर्णय लिया गया है।

12 **देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर के लेबुलों पर एम०आर०पी० अंकन की विधि:-**

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक धारिता की बोतलों के लेबुलों पर एम०आर०पी० रू० ... के स्थान पर एम०आर०पी० रू०....... (समस्त करों सहित) लेबुलों पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

13. आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2008 में वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नानुसार आबकारी राजस्व का लक्ष्य प्राप्त होने का अनुमान सूचित किया गया है:-

		(करोड़ रूपये में)
1-	देशी शराब - प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियाँ	2600.00
2-	विदेशी मदिरा- प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियाँ	1400.00
3-	बियर - प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियाँ	250.00
4-	अन्य मद -	250.00
	योग - (रूपये पैतालिस सौ करोड़ मात्र)	4500.00

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपरोक्त अनुमानित राजस्व रू0 4500 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2008-09 के लिये रू0 5040 करोड़ आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर जनपदों के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व-सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

14. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए ताकि न केवल निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ही सुनिश्चित् हो सके, बल्कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हो सके। इस सम्बन्ध में विभाग के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसका लाभ अगले वित्तीय वर्ष में भी प्राप्त हो सके।

15. देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

16. उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2008 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् किया जाए, जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना है, उसका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से आगामी कार्यवाही की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित् कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर मार्च, 2008 के तृतीय सप्ताह में गहन समीक्षा भी कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

सलंग्नक: उपरोक्तानुसार

(एस.पी.सिंह)
संयुक्त सचिव।